



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 580 राँची, मंगलवार, 4 आश्विन, 1945 (श०)
26 सितम्बर, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

6 जुलाई, 2023

संख्या-4/स्था०पद०-02-13/2014 का०-3830--विभागीय अधिसूचना जापांक 3650 दिनांक 26.06.2023 के क्रम में श्रावणी मेला महोत्सव बासुकीनाथधाम- 2023 के अवधि के दौरान विधि व्यवस्था संधारण, भीड़ एवं अपराध नियंत्रण की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के अतिरिक्त रूप से निम्नांकित 02 पदाधिकारियों को दुमका जिला में तत्काल प्रभाव से दिनांक 31.08.2023 तक श्रावणी मेला के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है :-

क्र०	पदाधिकारी का नाम/कोटि क्रमांक/बैच/गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन
I	II	III
1	श्री सुनील कुमार सिंह 495/20, राँची	कार्यपालक दण्डाधिकारी, हजारीबाग
2	श्री प्रेम कुमार दास, षष्ठम बैच, गिरिडीह	कार्यपालक दण्डाधिकारी, साहेबगंज

II. उपर्युक्त प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को दण्ड प्रक्रिया संहिता के नियम 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा-20 के तहत दुमका जिला के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं।

III. संबंधित नियंत्री पदाधिकारी प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को उपायुक्त, दुमका के कार्यालय में योगदान हेतु विरमित करने की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

IV. सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी उपायुक्त, दुमका के कार्यालय में योगदान सुनिश्चित करेंगे तथा श्रावणी मेला की समाप्ति के उपरांत उपायुक्त, दुमका द्वारा विरमित किये जाने के फलस्वरूप अपने पदस्थापन के पद पर योगदान करेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ओम प्रकाश साह,
सरकार के संयुक्त सचिव।
